ET/1774
38

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम मुख्यालय जयपुर

क्रमांकः एफ5/मु./यान्त्रिक/दुर्घटना./17/2967 दिनांकः 02-8-17

कार्यालय –आदेश

राजस्थान परिवहन निगम द्वारा यात्रियों को सुरक्षित रूप से अपने गंतव्य स्थान पर समय पर पहुँचाने के उद्देश्य से बसों का संचालन किया जा रहा है। परिवहन निगम की बसों की छतों पर बैठने के कारण या बस के पायदान पर यात्रा करने के कारण दुर्घटनाएँ घटित हो रही हैं।

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक एफ5/मु./यान्त्रिक/दुर्घटना./16/2051 दिनांक 11.1.16 के द्वारा निर्देशित किया गया था किन्तु आगार स्तर पर निर्देशों की पालना सुनिश्चित नहीं किये जाने के परिणाम स्वरुप दुर्घटना की सम्भावना बनी रहती है, अतः आकस्मिक दुर्घटनाओं को नियन्त्रित किये जाने के लिये निम्न निर्देश पुनः जारी किये जा रहे हैः–

1. बिना टिकिट यात्रा निवारण अधिनियम 1975 (संशोधित 1987) के प्रावधानों के अनुरूप यदि कोई व्यक्ति उचित पास या टिकिट के बिना मोटर गाडी की छत, सीढियों या फुटबोर्ड के किसी भी स्थान को ग्रहण करके या इन्जिन पर या चालक के पास या मोटर गाडी के किसी अन्य भाग पर, जो यात्रियों के उपयोग के लिये आशयित नहीं है, किसी मोटर गाडी द्वारा यात्रा करता है तो वह ऐसे कारावास से जो तीन महीने तक का हो सकेगा या ऐसे जुर्माना जो 500/रू तक हो सकेगा या दोनो से दण्डनीय होगा।
2. **वाहन की छत पर किसी भी स्थिति में यात्रियों को नहीं चढने दिया जावे ना ही पिछे लटकने दिया जावे इस हेतु चालक/परिचालकों को पाबन्द किया जावे कि पायदान या पीछे की सीढियों पर कोई यात्री, यात्रा करता हुआ पाया जाता है तो सम्बन्धित आगार के मुख्य प्रबन्धक / प्रबन्धक (संचालन / यातायात)/चालकों/परिचालकों के विरूद्व निगम नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।**
3. राज्य में आयोजित होने वाले विभिन्न स्थानीय मेलों के लिये सम्बन्धित आगार के मुख्य प्रबन्धक यात्रियों के लिये समुचित वाहन उपलब्ध करवायेंगें एवं पुलिस की सहायता से यात्रियों की सुरक्षा हित आवश्यक कदम उठायेगें।
4. परीक्षः मेले एवं विशेष पर्व के कारणों से यात्रीभार अधिक रहने के दौरान महिला यात्रियों से छेडछाड अथवा अभद्रव्यवहार को रोकने हेतु मुख्य प्रबन्धक/वाहन का चालक व परिचालक एवं ड्यूटी आफिसर जिला पुलिस की सहायता से उक्तानुसार की प्रवृत्ति पर अंकुश लगायेगें एवं आवश्यक कार्यवाही करवायेंगें।
5. निगम चालक द्वारा वाहन की गति निर्धारित सीमा में ही रखी जावे।
6. वाहन को बस स्टाप पर रोकते समय बाई साइड में सडक से उतारकर उचित स्थान पर रोका जावे तथा वाहन के यात्रियों को सावधानीपूर्वक उतरने व चढने दिया जावे।
7. चालक वाहन का संचालन करते समय वाहन में बैठे यात्रियों से या परिचालक से वार्ता नहीं करें।
8. वाहन चालक वाहन का संचालन करते समय कदापि मोबाइल का उपयोग नहीं करेगें। अनियमितता पाये जाने पर सम्बन्धित चालक के विरूद्व 500/रू का अर्थदण्ड किया जावेगा एवं मोबाइल जब्त कर लिया जावेगा। साथ ही निगम नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।
9. वाहन चालक/परिचालक वाहन संचालन के दौरान किसी प्रकार के **मादक पदार्थों /तम्बाकू/ गुटखा / पान मसाला / बीडी/सिगरेट** इत्यादि का सेवन नहीं करेगें।उक्त बाबत सम्बन्धित मुख्य प्रबन्धक/प्रबन्धक (संचालन) सुनिश्चित करें कि उक्त सामग्री चालक/परिचालक की जेब/बैग में नहीं हो या उसके पास नहीं है।
10. सभी मुख्य प्रबन्धक निगम वाहनों में केन्द्रीय नियन्त्रण कक्ष मु.जयपुर के टोल फ्री नम्बर 18002000103 एवं 9549456745 अंकित करवायेगें ताकि वाहन चालक/परिचालक द्वारा उक्तानुसार चलती बस में मादक पदार्थो/तम्बाकू/गुटखा/पान मसाला/बीडी/सिगरेट व मोबाइल का उपयोग करने पर यात्री केन्द्रीय नियन्त्रण कक्ष मु.जयपुर में सूचित /शिकायत कर सकें।
11. घनी आबादी क्षेत्र, अस्पताल, स्कूल, तिराहे एवं चौराहें पर वाहन का संचालन धीमी गति में करें।
12. कार्यशाला से वाहन प्रस्थान किये जाने से पूर्व वाहन को पूर्ण रूप से चैक करने के उपरान्त ही मार्ग पर भिजवाया जावे। जिसकी जिम्मेदारी मुख्य प्रबन्धक/प्रबन्धक (संचानल) की होगी।

सामान्यतया मुख्य प्रबन्धक मुख्यालय द्वारा जारी निर्देशों को प्रबन्धक (संचालन/यातायात) के पास भिजवा देते है और इन निर्देशों को चालकों/परिचालकों तक पहुँचाने की व्यवस्था सुनिश्चित नहीं करते है। चालकों/परिचालकों तक निर्देश नहीं पहुँचने से उनकी प्रभावी पालना नहीं हो पाती है। इसलिए मुख्य प्रबन्धक/प्रबन्धक (संचालन/यातायात) प्रतिदिन चालक/परिचालकों से व्यक्तिगत संवाद कर उक्त आदेश/निर्देशों से अवगत करवायेगें।

उक्त निर्देशों की कठोरता से पालना सुनिश्चित की जावें। अवहेलना पाये जाने पर सम्बन्धित आगार के मुख्य प्रबन्धक/प्रबन्धक (संचालन/यातायात)/चालक/परिचालकों के विरूद्व कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।

(सी.वी. चारण)
कार्यकारी निदेशक (यान्त्रिक)

क्रमांकः एफ5/मु./यान्त्रिक/दुर्घटना./17/2967 दिनांकः 02-8-17

प्रतिलिपिः निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. विशिष्ट सहायक, परिवहन मंत्री महो. राजस्थान सरकार जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, राज्य परिवहन मंत्री महो., राजस्थान सरकार जयपुर।
3. निजि सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव,गृह विभाग राजस्थान सरकार जयपुर।
4. निजि सचिव, अध्यक्ष राजस्थान परिवहन निगम मुख्यालय जयपुर।
5. निजी सचिव, प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान परिवहन निगम, मुख्यालय जयपुर।
6. समस्त विभागाध्यक्ष ..... राजस्थान परिवहन निगम मु.जयपुर।
7. उपं महा प्रबन्धक (आई.टी) को भेजकर लेख है कि उक्त आदेशों को निगम की वेबसाइट पर अपलोड करे।
8. कार्यकारी प्रबन्धक (जनसम्पर्क) रा.परिवहन निगम मु.जयपुर को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश का पर्याप्त प्रचार प्रसार करें।
9. समस्त मुख्य प्रबन्धक, राजस्थान परिवहन निगम ..... आगार को भेजकर लेख है कि उपर्युक्त की पालना सुनिश्चित करें एवं समस्त चालक/परिचालक को उक्त आदेश तामिल करावें।
10. समस्त प्रबन्धक (संचालन/यातात) रा.परिवहन निगम ..... आगार।
11. प्रभारी , केन्द्रीय नियन्त्रण कक्ष. राजस्थान परिवहन निगम मु.जयपुर।
12. आदेश पत्रावली।

2-8-17

कार्यकारी प्रबंधक (दुर्घ./प्रशि.)